न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

अपील संख्या 16/2022

पप्पू बनाम ग्राम पंचायत कुड़ली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम

उपस्थित – वकील अपीलाण्ट– श्री राजेश माथूर
वकील रेस्पोडेण्टस – श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत

आदेश

दिनांक : 2.2.2023

वकील अपीलाण्ट ने एक अपील विरूद्व नामा0 संख्या 153 दिनांक 28.1.1983 ग्राम पंचायत शिवसिंहपुरा के पेश की । अपील के साथ दफा 5 अवधि अधिनियम का एक आवेदन भी प्रस्तुत किया गया। जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि चुनौतिग्रस्त नामा0 के विरूद्व अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है क्योंकि अपीलाण्ट को चुनौतीग्रस्त नामा0 की जानकारी कभी नहीं रही। दिनांक 25.1.2022 को रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 17 एक राय होकर आये और पूरी भूमियों को समतल करने के लिये मौके पर ट्रेक्टर चलाने लगे तो अपीलाण्टस ने रोक टोक की तो मारपीट करने पर आमादा हो गये तथा धमकी दी कि उन्होने कॉलोनी बनाने हेतु भूमाफिया से एग्रीमेंट किया है जल्द ही यहां प्लाटिंग कर भूखण्ड विक्रित किये जायेगें। इसके पश्चात अपीलाण्टस ने उक्त राजस्व रिकार्ड की प्रतिलिपियां प्राप्त करने के लिये विभागों के चक्कर काटे तो चुनौतिग्रस्त नामा0 की नकल दिनांक 16.2.2022 को प्राप्त हो गई, किन्तु पुराने राजस्व रिकार्ड एवं नवीन राजस्व रिकार्ड की श्रंखला की प्रतियां प्राप्त करने में काफी समय लगा और पुरा रिकार्ड अपीलाण्टस के पास दिनांक 20.9.2022 को प्राप्त होने पर उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है। इसलिये अपील प्रस्तुतीकरण मे दुई देरी क्षम्य किये जाने की कृपा करें।

रेस्पोडेण्टस संख्या 11 ता 15 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवधि अधिनियम के आवेदन पर लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई एवं दस्तावेजात पेश किये गये। बहस वकील उभयपक्ष सूनी गई। वकील अपीलाण्टस ने अपने आवेदन के

उपखण्ड अधिकारी सीकर

Scanned with Oken Scanner

तथ्यों को दोहराया । वकील रेस्पोडेण्टस ने अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार बहस में तर्क किया कि अपीलाण्टस को उक्त चुनौतिग्रस्त नामा0 की पूर्व से जानकारी रही है कि विवादित भूमियों के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में मुकदमें किये गये है। जिनकी प्रतियां प्रस्तुत की गई है। माननीय न्यायालय परिक्षण कर लेवें। अपील मियाद बिन्दु पर खारिज की जावे। वकील अपीलाण्टस ने अपने आवेदन के समर्थन में आरएलडब्लू 1999(1) एससी पेज 107 की नजीर पेश की।

हमने बहस पर मनन किया एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलाण्टस का कथन है कि उन्हे जानकारी दिनांक 25.1.2022 को विवादित भूमि पर ट्रेक्टर आदि चलाने से हुई। उसके पश्चात राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने में समय लगने के कारण अपील देरी से प्रस्तुत की गई। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश सीकर में दायर मुकदमा नम्बर 104/ बउनवानी रईसा बानों बनाम घीसा में अपीलाण्टस के रूप में फूला का पुत्र बून्दू पक्षकार है। बुन्दु स्व0 फूला का पुत्र है । प्रस्तुत अपील एंव माननीय सिविल न्यायाधीश में प्रस्तुत उक्त वाद में विवादित आराजियात समान है। उक्त वाद में अपीलाण्टस सख्या 1 व 2 पक्षकार नहीं है परन्तु अपीलाण्टस संख्या 3 स्वयं वादी सख्या 2 के रूप में पक्षकार है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलाण्टस को विवादित भूमियों बाबत प्रारम्भ से नही तो 2017 में इसकी जानकारी रहीं है। अपीलाण्टस ने इस बाबत अपने दफा 5 क आवेदन में कोई उल्लेख नहीं किया है। इसके अलावा अपीलाण्टस ने अपने आवेदन में दिनांक 25.1.2022 को चुनौतीग्रस्त नामा0 की जानकारी होना एवं राजस्व रिकार्ड प्राप्त करने में समय लगना बताया गया है जिसका कोई प्रमाणित आधार आवेदन में प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि अपील करीब 8 माह बाद दिनांक 22.9.2022 को प्रस्तुत की गई है। दफा 5 के प्रावधानों के अनुसार उक्त देरी का दिन प्रतिदिन का कारण अपीलाण्टस को उल्लेख करना चाहिये था जो कि नहीं किया गया है। अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात चुनौतीग्रस्त नामा0 की नकल हैतु आवेदन दिनांक 15.2.2022 को प्रस्तुत किया गया है एवं नकल दिनांक 16.2.2022 को प्राप्त करली गई थी।

उपर्युक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर यह स्पष्ट है कि अपीलाण्टस को विवादित भूमियों बाबत प्रारम्भ से नही तो वर्ष 2017 से जानकारी रही है। दफा 5 के आवेदन में देरी का स्पष्ट कारण प्रमाण सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है। ना ही दिनांक 25.1.222 से 22.9.2022 तक की अवधि की देरी का प्रमाणिक स्पष्टिकरण प्रस्तुत किया गया है। इसलिये दफा 5 अवधि अधिनियम का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत हीं होता है। अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत नजीर का भी ससम्मान

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

Scanned with Oken Scanner

अवलोकन किया । प्रस्तुत नजीर हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। अतः आवेदन दफा 5 अवधि अधिनियम का अस्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्टस विरूद्व नामा0 संख्या 153 दिनांक 28.1.1993 ग्राम पंचायत शिवसिंहपुरा खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 2.2.23 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर